रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2015/श्रावण 19, 1937
No. 498] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2015 /SHRAVANA 19, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 621(अ).—अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:

1. (1) इस आदेश को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) संशोधन आदेश, 2015 कहा जाए।

(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को लागू होगा।

2. मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 में खंड 6 के बाद निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, नामत:

"6क हाई स्पीड डीजल मिश्रित जैव डीजल की सीधी बिक्री का सीमित उद्देश्य

(1) केन्द्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानको के अनुरूप थोक उपभोक्ताओं को हाई स्पीड डीजल में मिश्रण के लिए जैव डीजल (बी-100) की बिक्री करने की अनुमति प्रदान कर सकती है, नामत:

(i) रेलवे

(ii) राज्य परिवहन उपक्रम, और

(iii) एक टैंक ट्रक की आपूर्ति की अपनी खपत के लिए जैव डीजल की न्यूनतम आवश्यकता रखने वाले अन्य थोक उपभोक्ता जिनकी आवश्यकता 12000 लीटर से कम नहीं होगी।

(2) खंड (1) के प्रयोजन हेतु "तेल कंपनी" का अभिप्राय इंडियन आयल कारपोरेशन लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., कोई भी निजी जैव डीजल विनिर्माताओं, ऐसी तेल

कंपनियों के प्राधिकृत डीलरों और केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के संयुक्त उद्यमों से है।"

[मि. सं. पी-11013/1/2015-वितरण]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 729(अ), दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 के अनुसार प्रकाशित किया गया था और बाद में संख्या सा.का.नि. 18(अ), 12 जनवरी, 2007, संख्या सा.का.नि. 1(अ) दिनांक 1 जनवरी, 2009 और संख्या सा.का.नि. 352(अ), दिनांक 6 मई, 2014 के अनुसार इसे संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2015

G.S.R. 621(E).—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, namely:—

1. (1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Amendment Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, after clause 6, the following clause shall be inserted, namely :—

"6A. Limited purpose of direct sale of bio-diesel blending with high speed diesel.—

(1) The Central Government may permit the sale of bio-diesel (B-100) for blending with high speed diesel to bulk consumers, in accordance with the standards specified by Bureau of Indian Standards, namely :—

(i) the Railways;

(ii) the State Transport Undertakings; and

(iii) other bulk consumers having minimum requirement of bio-diesel for their own consumption by a tank truck load supply which shall not be less than twelve thousand litres.

(2) For the purposes of clause (1), "oil company" means the Indian Oil Corporation Limited, the Hindustan Petroleum Corporation Limited, the Bharat Petroleum Corporation Limited, any private bio-diesel manufacturers, the authorised dealers of such oil companies and Joint Ventures of Public Sector Oil Marketing Companies authorised by the Central Government.".

[F. No. P-11013/1/2015-Dist.]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 19th December, 2005 and subsequently amended *vide* number G.S.R.18(E), dated the 12th January, 2007, number G.S.R.1(E), dated the 1st January, 2009 and number G.S.R. 352(E) dated 6th May, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.